राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना

वाद संख्या–105/2022

निर्वाची पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, बिक्रमगंज, रोहतास बनाम् अजय कुमार सिंह एवं अन्य(59) अभ्यर्थी।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा पत्रांक 1719/निर्वा0 दिनांक 17.12.2022 से नगर परिषद बिक्रमगंज के आम निर्वाचन, 2018 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा 30 दिनों के अंदर निर्वाचन व्यय विवरणी दाखिल नहीं करने पर कुल 59 अभ्यर्थियों की सूची एवं अन्य विवरण उपलब्ध कराया गया।

बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–474–सह–पठित बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 101 (1) के तहत निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के अंदर निर्वाचन व्यय विवरणी निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करना आवश्यक है।

उक्त नियम का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 100 (2) (vi) एवं नियम 100(3) के तहत दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–474(2) में ऐसे अभ्यर्थियों पर आदेश निर्गत कि तिथि से 3 वर्षो तक निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेने पर रोक का प्रावधान है।

आयोग द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास से प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी 59 अभ्यर्थियों को उनका पक्ष रखने हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया। लिये गये निर्णयानुसार निर्वाचन व्यय विवरणी जमा नहीं करने वाले 59 अभ्यर्थियों को नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस निर्गत होने के उपरांत कुल 15 अभ्यर्थियों द्वारा अपना पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे के माध्यम से रखा गया। 44 अभ्यर्थी सुनवाई के दौरान कभी भी उपस्थित नहीं हुए।

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे द्वारा आयोग को बताया गया कि नगर परिषद्, बिक्रमगंज का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और वहाँ नयी कार्यकारिणी का गठन किया जा चुका है, अर्थात् यह वाद काल बाधित हो चुका है। अतः इस वाद के सुनवाई या आदेश का कोई प्रभाव प्रतिवादियों पर नहीं पड़ेगा।

आयोग द्वारा पाया गया कि सभी जिला प्रशासन को निर्वाचन व्यय विवरणी जमा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध कार्रवाई के पूर्व **"कारण बताओं नोटिस"** निर्गत किये जाने का अनुदेश/निर्देश आयोग द्वारा दिया गया है, परंतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) –सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा इसका अनुपालन अक्षरशः नहीं कराया गया। फलतः आयोग द्वारा सुनवाई के क्रम में दिनांक 15.05.2024 को सभी 59 अभ्यर्थियों को **"कारण बताओं नोटिस"** जारी करने का आदेश उन्हें दिया गया। आदेश का अनुपालन करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा सभी

अभ्यर्थियों को "कारण बताओं नोटिस" जारी किया गया जिसमें से 04 अभ्यर्थियों द्वारा अपना जवाब दिया गया है, और आरोपों को निराधार बताया गया है, जबकि 55 अभ्यर्थियों द्वारा कोई जवाब दायर नहीं किया गया है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास के प्रतिवेदन के अनुसार सभी 59 अभ्यर्थियों के "कारण बताओं नोटिस" के जवाब की स्थिति निम्नवत् है :–

क्र0	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	वार्ड संख्या	पत्राचार का पता	नोटिस के उपरांत अभ्यर्थियों के जवाब की स्थिति।
1.	अनवर हुसैन	मस्तान खलीफा	04	बिक्रमगंज, पोस्ट+ थाना–बिक्रमगंज	पहली बार चुनाव लड़ने के कारण समझ की कमी से मूल व्यय–पंजी के स्थान पर छायाप्रति जमा कर दिया।
2.	श्रीमती मीरा देवी	श्री सीताराम प्रसाद	15	श्रीकृष्णा नगर, थाना+ पोस्ट–बिक्रमगंज	पहली बार चुनाव लड़ने के कारण समझ की कमी से मूल व्यय–पंजी के स्थान पर छायाप्रति जमा कर दिया।
3.	शाहनाज बानो	शमीम कोरैशी	22	मोहल्ला+थाना +पोस्ट–बिक्रमगंज	भूलवश एवं जानकारी के अभाव में मूल व्यय– पंजी जमा नही कर सकी।
4.	खेरुन निशा	मोहम्मद सैमूल्लाह खा	27	मोहल्ला+थाना+ पोस्ट–बिक्रमगंज	पति के लकवाग्रस्त होने के कारण ईलाज हेतु शहर से बाहर रहना पड़ा, जिसके कारण
5	श्री अजय कुमार सिंह	श्री रामचन्द्र सिंह	01	ग्राम–तेन्दुनी, पोस्ट+ थाना–बिक्रमगंज	नोटिस निर्गत होने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया गया।
6	श्री वकील साह	श्री दीनानाथ साह	01	ग्राम–तेन्दुनी, पोस्ट+ थाना–बिक्रमगंज	
7	श्रीमती चन्देश्वरी देवी	श्री लखन साह	02	ग्राम–तेन्दुनी, पोस्ट+ थाना –बिक्रमगंज	
8	श्री मुन्ना साह	श्री भगवान साह	02	ग्राम–तेन्दुनी, पोस्ट+ थाना –बिक्रमगंज	
9	श्री रंजन कुमार	देवराज सिंह	02	ग्राम–तेन्दुनी, पोस्ट+ थाना –बिक्रमगंज	
10	श्रीमती सुमन देवी	श्री रंजन कुमार	02	तेन्दुनी, पोस्ट+ थाना –बिक्रमगंज	
11	श्रीमती आरती देवी	श्री पप्पू सेठ	03	मु0 दिबरा, तेन्दुनी, पोस्ट + थाना–बिक्रमगंज	
12	श्री आनन्द कुमार	श्री चन्द्रभूषण सिंह	03	मु0 आरा रोड, तेन्दुनी, पोस्ट+ थाना–बिक्रमगंज	
13	श्री प्रेम कुमार सोनी	श्री राजू सेठ	04	मु0–बिक्रमगंज, पोस्ट + थाना– बिक्रमगंज	
14	श्री विनोद प्रसाद गुप्ता	श्री गोपाल प्रसाद	04	बिक्रमगंज, पोस्ट +थाना–बिक्रमगंज	
15	श्रीमती उषा कुमारी	श्री संजय कुमार	05	मु0 आनन्द नगर, पोस्ट +थाना –बिक्रमगंज	
16	श्रीमती बिन्दा देवी	श्री सूरज सिंह	05	पति–, मु0 तेन्दुनी, पोस्ट +थाना –बिक्रमगंज	
17	श्रीमती भिखीया देवी	श्री सतेन्द्र सिंह	05	तेन्दुनी, पोस्ट+थाना –बिक्रमगंज	
18	श्री अरूण कुमार	श्री अयोध्या सिंह	06	ग्राम+पोस्ट–धनगाई, थाना–बिक्रमगंज	
19	खुर्शीद बानो	श्री हसन अली	07	ग्राम+पोस्ट–धनगाई, थाना–बिक्रमगंज	
20	श्री जितेन्द्र कुमार	श्री महेश राम	08	ग्राम+पोस्ट–धनगाई, थाना–बिक्रमगंज	
21	श्री मनोज कुमार	श्री नन्हक साह	08	ग्राम–धनगाई, पोस्ट +थाना–बिक्रमगंज	
22	श्री विपिन बिहारी मंडल	श्री बंशीधर राम	08	ग्राम–धनगाई, पोस्ट +थाना–बिक्रमगंज	
23	श्रीमती शांति देवी	श्री ललन राम	08	ग्राम–धनगाई, पोस्ट +थाना–बिक्रमगंज	
24	श्री भगवान प्रसाद	श्री रामचन्द्र राम	08	ग्राम– धनगाई, पोस्ट +थाना–बिक्रमगंज	
25	श्रीमती गीता देवी	श्री मनीष कुमार राम	09	ग्राम+पोस्ट–धनगाई, थाना–बिक्रमगंज	
26	श्रीमती माया देवी	श्री मुन्ना सिंह	09	ग्राम–धनगाई, पोस्ट +थाना–बिक्रमगंज	
27	श्रीमती सीमा सिंह	श्री सुनील कुमार	09	ग्राम–धनगाई, पोस्ट +थाना–बिक्रमगंज	

28	मो0 मेराज	मो0 सेराजुद्दीन फारूकी	11	बिक्रमगंज, पोस्ट +थाना–बिक्रमगंज	
29	मोहम्मद अनवर फारूकी	मोहम्मद रफीक फारूकी	11	थाना+पोस्ट–बिक्रमगंज	
30	श्रीमती कंचन देवी	श्री जीतेन्द्र कुमार सिंह	12	शांतिनगर पानी टंकी, थाना + पोस्ट– बिक्रमगंज	
31	श्रीमती कोशिला देवी	श्री अरूण कुमार	12	मनबोध नगर, थाना+ पोस्ट–बिक्रमगंज	
32	श्री बंसत चौधरी	श्री विजय चौधरी	13	मो0–गोसाई मोहल्ला, थाना+पोस्ट– बिक्रमगंज	नोटिस निर्गत होने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया गया।
33	श्रीमती शशि देवी चौहान	श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह	13	मोहल्ला कृष्ण नगर थाना+पोस्ट– बिक्रमगंज	
34	श्रीमती मीना देवी	श्री काशीनाथ गुप्ता	14	मोहल्ला–अस्कामिनी नगर, पोस्ट+थाना–बिक्रमगंज	
35	श्री चंदन कुमार	श्री ह्रदयानन्द साह	15	श्याम नगर, पोस्ट+ थाना–बिक्रमगंज	
36	श्रीमती संगीता देवी	श्री संजय कुमार गुप्ता	16	हसनगर, थाना+ पोस्ट–बिक्रमगंज	
37	श्रीमती बबीता देवी	श्री कमेन्द्र सिंह	17	शिक्षक कॉलोनी, थाना+पोस्ट– बिक्रमगंज	
38	श्रीमती रीता देवी	श्री खुशीचंन्द्र साह	17	मोहल्ला–दुर्गा स्थान, तेन्दुनी, थाना+ पोस्ट–बिक्रमगंज	
39	श्रीमती उमा देवी	श्री गणेश रवानी	18	मोहल्ला–गोसाई, थाना+पोस्ट– बिक्रमगंज	
40	श्रीमती ज्योति देवी	श्री धर्मेन्द्र कुमार	18	मोहल्ला–नासरीगंज, थाना+पोस्ट– बिक्रमगंज	
41	श्री अविशेक कुमार सिंह	श्री नेम नारायण सिंह	19	मोहल्ला+ पोस्ट–धारूपुर, थाना–बिक्रमगंज	
42	श्री प्रभाकर कुमार	श्री राधा सिंह	19	मोहल्ला+ पोस्ट–धारूपुर, थाना–बिक्रमगंज	
43	श्री राजाराम राजवार	श्री अलगु राजवार	19	मोहल्ला+ पोस्ट–धारूपुर, थाना–बिक्रमगंज	
44	श्रीमती किरण देवी	श्री संजय सिंह	21	मोहल्ला+ पोस्ट–धारूपुर, थाना–बिक्रमगंज	
45	श्रीमती रानी देवी	श्री संजय सिंह	21	मोहल्ला+ पोस्ट–धारूपुर, थाना–बिक्रमगंज	
46	श्रीमती सुनीता देवी	श्री अनिल साह	21	मोहल्ला+ पोस्ट–धारूपुर, थाना–बिक्रमगंज	
47	अफरीन खातुन	आलिम कोरैशी	22	मोहल्ला–रहमतनगर, थाना+पोस्ट– बिक्रमगंज	
48	अनिसा बेगम	मुनन्नू मियाँ	23	मोहल्ला–बांध, थाना+पोस्ट– बिक्रमगंज	
49	नईमा खातुन	नसीम अख्तर	23	मोहल्ला–शाह, पोस्ट+थाना– बिक्रमगंज	
50	फिका खातुन	ऐनुल शाह	23	–घुसिया कला रोड़, पोस्ट+थाना– बिक्रमगंज	
51	रोखसाना खातुन	जीमल शाह	23	मोहल्ला–बिक्रमगंज, थाना+पोस्ट– बिक्रमगंज	
52	हिना खातुन	मोहम्मद रब्बानी शाह	23	मोहल्ला–बिक्रमगंज, थाना+पोस्ट– बिक्रमगंज	
53	मो0 गुलाम सरवर	स्व0 मो0 अबरार अहमद खॉ	24	मोहल्ला–बिक्रमगंज (बड़ी मस्जिद के पास) थाना+पोस्ट –बिक्रमगंज	
54	श्री भरत राम	श्री रामाधार राम	24	बिक्रमगंज, थाना+पोस्ट– बिक्रमगंज	
55	यासमीन आरा	वकील अंसारी	25	गुलजार बाग, थाना+पोस्ट– बिक्रमगंज	
56	श्रीमती चनमुना देवी	श्री रनी राहुल कुमार	26	मोहल्ला–सिकरिया, थाना+पोस्ट– बिक्रमगंज	
57	यासमीन नाज	मो0 गुलाम सरवर	26	बड़ी मस्जिद के पास बिक्रमगंज, पोस्ट+थाना–बिक्रमगंज	
58	मुमताज खातुन	मोहम्मद इरशाद खान	27	मोहल्ला+थाना+पोस्ट–बिक्रमगंज	
59	रजिया खातुन	मोहम्मद शरफुद्दीन	27	मोहल्ला+थाना+पोस्ट–बिक्रमगंज	

उक्त स्थिति से यह प्रमाणित होता है कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2018 में भाग लेने वाले उक्त सभी 59 अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्वाची पदाधिकारी के पास निर्वाचन व्यय विवरणी जमा नहीं कराया गया था।

आयोग में वाद प्रारम्भ होने के उपरांत संज्ञान में आया कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से कारण पृच्छा नहीं किया गया था, इस कारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास को आदेश दिया गया कि वह कारण पृच्छा सभी अभ्यर्थियों को उपलब्ध करायें। आयोग के आदेश का अनुपालन जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा किया गया तथा सभी अभ्यर्थियों को कारण–पृच्छा प्रेषित की गई, इसके बावजूद केवल 04 अभ्यर्थियों द्वारा कोई जवाब दिया गया जबकि 55 अभ्यर्थियों द्वारा कोई जवाब या स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि उक्त सभी 55 अभ्यर्थी नियमों एवं आयोग के अनुदेशों का उल्लंघन किया गया है।

उक्त वर्णित स्थिति में बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–474–सह–पठित बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 101 (1) के उल्लंघन के कारण बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–474(ख) के आलोक में तालिका में अंकित क्रम संख्या–05 से क्रम संख्या–59 तक सभी 55 अभ्यर्थियों को आदेश निर्गत होने की तिथि से 3 वर्षों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु निरर्हित घोषित किया जाता है। क्रम संख्या–01 से 04 पर अंकित अभ्यर्थियों का स्पष्टीकरण स्वीकार किया जाता है तथा उनसे अपेक्षा की जाती है कि निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व नियमों से भलि–भाँति परिचित होलें तथा भविष्य में उक्त गलती की पुनरावृति न करें।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।
अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0 /–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
27.05.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0 /–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
27.05.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–105 / 2022 पटना, दिनांक–........................

प्रतिलिपिः– सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 /–
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–105 / 2022 2295 पटना, दिनांक–27.5.25

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास / अनुमण्डल पदाधिकारी, बिक्रमगंज–सह–निर्वाची पदाधिकारी(बिक्रमगंज) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुमण्डल पदाधिकारी, बिक्रमगंज–सह–निर्वाची पदाधिकारी(बिक्रमगंज) को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति

का तामिला सभी 59 प्रतिवादियों को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

27/5/25

विशेष कार्य पदाधिकारी